भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 33B/2018-19

लुदरी महतो **बनाम** आलो देवी

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1-6-18		

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 911 दिनांक 09.06.2018 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 33B/2018-19 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता लुदरी महतो पति स्व0 घासीराम महतो, ग्राम-बाँधडीह, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावां ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता आलो देवी, पति अशोक कुमार महतो, ग्राम-बाँधडीह, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
बाँधडीह	245	43	456	0.07डी0
			458	0.09डी0
				0.16डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के ससुर एवं अन्य के नाम से खतियान एवं पंजी-II में जमाबंदी कायम है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहती है। जिसमें से 0.16 डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.94 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.16डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

21/06/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।